26.8.2017

सेवा में
श्री सुनील कुमार सिंघल
सलाहकार (बी एवं सीएस)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरदर्शन भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली-11002

विषयः- सैट्टाप बॉक्स इन्टर-औपरेबिल्टी पर सुझाव

मान्यवर,

समझ से परे है कि अब सैट्टॉप बॉक्स की इन्टर-औपरेबिल्टी का मुद्दा छेड़ने के पीछे आखिर ट्राई की मंशा क्या है? सन् 2003 में जब एनालॉग से डिजीटल किए जाने के लिए कैस (कंडीशनल एक्सेस सिस्टम) कानून बनाया गया था, भले ही कैस को सरकार लागू नहीं करवा सकी थी, लेकिन डिजीटाइजेशन के लिए कानून बनाए जाने के कारण भारत के प्रमुख एमएसओ द्वारा लाखों सैट्टाप बॉक्स तब आयात किए गए थे। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सख्त निर्देश के कारण भारत सरकार को कैस का प्रथम चरण 1 जनवरी 2007 को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ा था तब एमएसओ द्वारा आयात किए गए उन सैट्टॉप बॉक्स में से कुछ बॉक्स उपभोक्ताओं में खपा दिए गए थे, लेकिन नॉन डैस एरिया में टैरिफ तय ना किए जाने के कारण पूरे देश से ही एनालॉग खत्म करने की प्रक्रिया में कैस को निष्क्रिय कर डैस (डिजीटल एड्रेसिबल सिस्टम) कानून बना कर जब 1 नवम्बर 2012 से डैस लागू किए जाने का प्रथम चरण आरम्भ किया गया था, तब भी सैट्टॉप बॉक्स को लेकर इन्टर-औपरेबिल्टी की बात की जाती तो बात समझ में आ सकती थी। तब वह बात तार्किक होती, लेकिन आज जबकि सरकार द्वारा डैस का चौथा चरण अर्थात सम्पूर्ण भारत में एनालॉग खत्म कर पूर्णतया डिजीटाइजेशन कर दिया गया है तब बैठे ठाली वाली बात हो रही है जिसका अब कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि सरकार के दावों के अनुसार तो सम्पूर्ण भारत में डैस लागू हो चुका है एनालॉग पूर्णतया खत्म हो गया है अर्थात देश के प्रत्येक टैलिविजन तक सैट्टॉप बॉक्स पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में ट्राई का सैट्टॉप बॉक्स की इन्टर-औपरेबिल्टी का राग छेड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता था लेकिन ट्राई द्वारा बाकायदा इसके लिए सुझाव पत्र जारी कर समस्त सम्बन्धितों से सुझाव मांगे गए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मामले में ट्राई गम्भीर है। अतः भारतीय केबल टीवी ऑपरेटरों की राष्ट्रीय संस्था 'ऑल इंडिया आविष्कार डिश एंटिना संघ' द्वारा इस मामले में बुलाई गई विशेष बैठक में जो सवाल-सुझाव सामने आए हैं वह आपके ध्यानार्थ प्रेषित हैं:-

1. देशभर में लगाए गए कुल सैटटॉप बॉक्स की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 119.7 मिलियन है, क्या इन सैट्टॉप बॉक्स को बदल पाना सम्भव है?

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)

B-263 Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736

2.यदि सरकार सैटटॉप बॉक्स की इन्टर-औपरेबिल्टी का कानून बना भी देता है तब ऐसे कानून का पालन कैसे करवा सकेगी सरकार?

3. इतनी बड़ी संख्या में लगाए गए सैटटॉप बॉक्स पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, अब यदि इन्टर-औपरेबिल्टी का कानून बनाया जाता है तब फिर से हजारों करोड़ का खर्चा कहां से आएगा?

4. ऐसे सैटटाप बॉक्सेज को कोई एमएसओ क्यों मंगवाएगा जब उन पर एमएसओ का एकाधिकार ही नहीं रहेगा?

5. केबल टीवी को टैल्को जैसा नहीं बनाया जा सकता है, दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है, अत: जैसे कि एक सिम का इस्तेमाल वहां होता है और हैंडसैट खुले बाजार में बिकते हैं वैसे सिस्टम के लिए इस क्षेत्र को एनालॉग से डिजीटाइजेशन पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने से पूर्व विचारना चाहिए था।

6. टैलिकॉम में सर्विस प्रदाता और उपभोक्ता वन टु वन होते हैं, जबकि इस क्षेत्र में बन प्वाइंट टु मल्टी प्वाइन्ट (एक प्वाइंट से अनेक प्वाइंट तक) सर्विस दी जाती है।

7. केबल टीवी अथवा ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में कन्टैंट दो प्रकार के अर्थात फ्री व पे होते हैं जबकि टैलिकॉम में ऐसा नहीं होता है।

8. पे चैनलों के साथ-साथ अन्य ब्रॉडकास्टर्स को भी पायरेसी की सम्भावनाओं के कारण सुरक्षित व्यवस्था चाहिए होती है, जिसकी टैलिकॉम में कोई जरूरत नहीं होती है।

9. देशभर के टीवी उपभोक्ताओं में केबल टीवी ही अकेला सर्विस प्रदाता नहीं है बल्कि डीटीएच के भी 70.3 मिलियन सैटटॉप बॉक्स उपभोक्ताओं में लगे हुए हैं जिन्हें बदलने की सोचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

10. अभी कन्सल्टेशन पत्र आया है, सुझाव आएंगे, फिर विचार विमर्श होगा तब कहीं जाकर इस पर कोई निर्णय हो पाएगा, तब तक क्या सैटटॉप बॉक्स सीडिंग का कार्य बन्द कर देना चाहिए?

11. सवाल यह भी अहम है कि इन्टर-औपरेबिल्टी का कानून जब भी बनेगा, यह उसके बाद ही लागू भी हो सकेगा, तो क्या तब तक लगे सभी सैटटॉप बॉक्स बदलने पड़ेंगे?

ऐसे तमाम सवाल ट्राई ने उठा दिए हैं जिनके जवाब तभी निकल कर आ पाएंगे जब इस मामले में गरमागरम बहस तर्क वितर्क होंगे।

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)

B-263 Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736

हम ऐसे प्रस्ताव का विरोध करते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण भारत का डिजीटाइजेशन हो जाने के बाद इस तरह के प्रस्ताव बेमानी लगते हैं।

बेहतर होगा कि ट्राई उसी को दुरुस्त करवाने पर ज्यादा ध्यान दे जो हो चुका है। आवश्यक्ता इस बात की है कि डैस कानून ही अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। उस कानून को सम्मत लागू करवाने की कोशिश की जाए। डीटीएच में इन्टर-औपरेबिल्टी का फार्मूला फेल हो चुका है, सर्वप्रथम उन खामियों पर ध्यान दिया जाए। केबल टीवी में डैस कानून को लागू किए जाने में क्या खामियां रह गई हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाए। सबसे अहम बात तो यह है कि एनालॉग से डिजीटाइजेशन पर जाने के लिए कई हजार करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में देश से बाहर चला गया है, क्या उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को हो पाया है, इस पर भी ट्राई को ध्यान देने की जरूरत है ना कि नए-नए प्रयोग करने की।

शुभकामनाएं

डा.ए.के.रस्तोगी
अध्यक्ष, आल इंडिया आविष्कार डिश एंटिना संघ
बी-263, इंद्रा नगर, दिल्ली-110033
मो.: 91-9811110410
ई-मेल: dr.akrastogi@gmail.com